आदेश की कमांक एवं तिथि 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही 3

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद सं0 01/2012–13
मीरा देवी –बनाम– राजेन्द्र तूरी वगै0

–: आदेश :–

10.5.2019– यह मामला अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के आर0ई0 वाद सं0 12/2004–05 (राजेन्द्र तूरी –बनाम– अनुरूद्ध प्रसाद सिंह वगै0) में दिनांक 19.07.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा दाय अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। यह विवाद मौजा–छोटा पंचगढ़, थाना नं0 35, जमाबंदी नं0 38 के दाग नं0 203 कुल रकवा 6 बीघा 19 कट्ठा 4 धुर के आंशिक रकवा 2 कट्ठा 6 धुर जमीन से अपीलार्थी को निम्न न्यायालय से उच्छेद किये जाने से संबंधित है।

प्रथम पक्षः–अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि निम्न न्यायालय में वाद की कार्यवाही के क्रम में एक भी नोटिस अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुआ है कि वे अपना पक्ष निम्न न्यायालय में प्रस्तुत कर सके। अपीलार्थी को निम्न न्यायालय के वाद में पक्षकार भी नहीं बनाया गया था। उत्तरवादी ने निम्न न्यायालय में अनुरूद्ध प्रसाद सिंह एवं अरविन्द कुमार सिंह को पक्षकार बनाकर वाद दायर किये थे, जिसके कारण अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया।

उनका यह भी कथन है कि उपरोक्त भूमि पर कच्चा–पक्का का मकान बना हुआ है, जो अपीलार्थी के भोग दखल में है। उत्तरवादी नं0 1 राजेन्द्र तूरी के बीच काफी दोस्ताना संबंध वर्षो से चला आ रहा था। दोनों एक दूसरे को सुख दुख में सहयोग करते थे। उत्तरवादी नं0 1 राजेन्द्र तूरी की दयनीय आर्थिक स्थिति में अपीलार्थी ने परिवारिक संसारिक खर्च करने हेतु 2,70,000.00 (दो लाख सत्तर हजार) रूपये दिये थे। कुछ दिनों के बाद अपीलार्थी ने रूपये वापस करने को कहा तो उत्तरवादी ने लाचार एवं असमर्थ की स्थिति में लिये गये रूपये के एवज में अपीलार्थी मीरा देवी को जमाबंदी नं0 38 दाग नं0 203 का आंशिक रकवा 02 कट्ठा 06 धुर जमीन जिसपर अर्ध निर्मित दो अधुरा कमरा सहित बसोवासी जमीन को दान–पत्र दिनांक 17.02.2006 को लिखित रूप में मीरा देवी को दखल भोग अधिकार में दे दिया।

उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी ने अपना नाम नगरपालिका में दर्ज कराकर मकान का टेक्स भी दे रही है। उक्त मकान में विद्युत कनेक्शन भी लिया गया है, जिसका भुगतान अपीलार्थी करते आ रही है। उनका कथन है कि उक्त भूमि पर दस वर्षो से अनुरूद्ध प्रसाद सिंह एवं अरविन्द कुमार सिंह, पिता–रामेश्वर प्रसाद सिंह ने मकान बनाकर निवास कर रहे थे। उक्त मकान को मीरा देवी, पति–बलराम सिंह ने प्राप्त किया है, जो मौजा दामिन क्षेत्र के प्रधानी मौजा के अन्तर्गत है। उनका अनुरोध है कि अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा आर्र0ई0 वाद सं0 12/2004–05 में पारित आदेश गलत एवं गैर कानूनी है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में वर्णित प्रावधान के विपरीत है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा दिनांक 19.07.2010 को पारित आदेश को अपास्त (Set aside) किया जाय एवं अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

द्वितीय पक्षः– उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कथन है कि अपीलार्थी को अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है। किन्तु अपीलार्थी उक्त

Scanned with CamScanner

देश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

भूमि पर नहीं रहने के कारण नोटिस बिना तामिला वापस कर दिया गया है। अपीलार्थी बिहार के खवासपुर के रहने वाले है। विवादित स्थल के मकान में ताला लगा हुआ रहता है। अपीलार्थी जिस भूमि को उत्तरवादी सं0 1 से प्राप्त करने का दावा करती है, उस भूमि पर निम्न न्यायालय में वाद लंबित रहने के दौरान अनुरूद्ध प्रसाद सिंह एवं अरविन्द कुमार सिंह से क्रय कर लिया गया है, जो नियम के विरूद्ध है। उत्तरवादी को रूपये देने का दावा गलत है। उत्तरवादी कभी भी अपीलार्थी से रूपये नहीं लिये है। उक्त भूमि का खरीद बिक्री नहीं होता है। चुँकि भूमि दामिन–ई–कोह क्षेत्र की है,। संथाल परगना काश्ताकरी अधनियम 1949 के तहत् इसका हस्तानान्तरण किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। उत्तरवादी खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते इसके हकदार है।

उनका यह भी कथन है कि निम्न न्यायालय में अपीलार्थी उपस्थित हुए थे, लेकिन इन्होंने अपने पक्ष में किसी प्रकार दावा संबंधी कागजात एवं कारण पृच्छा दाखिल नहीं किये जाने के कारण उत्तरवादी के कागजातों के आधार पर आदेश पारित किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा दिनांक 19.07.2010 को पारित आदेश में अपीलार्थी एवं अन्य को संथाल परगना काश्ताकरी अधिनियम की धारा–42 एवं 20(5) के तहत उच्छेद कर दिया गया है, जो प्रावधान के अनुकूल है। अपीलार्थी का कथन गलत है कि उनको नोटिस नहीं मिली है। निम्न न्यायालय के अभिलेख में नोटिस की प्रति संलग्न है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल वकालतनामा से स्पष्ट है कि अपीलार्थी न्यायालय में अपना उपस्थिति दर्ज कराये है। अनुरोध है कि अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के आर0ई0 वाद सं0 12/2004–05 में दिनांक 19.07.2010 को पारित आदेश को बरकरार रखा जाय एवं अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील को अस्वीकृत किया जाय।

निर्णयः–उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, बोरियो के पत्रांक 79/रा0, दिनांक 08.02.2007 के प्रतिवेदन के अनुसार 10 वर्ष पूर्व उक्त भूमि को उत्तरवादी से प्राप्त किया गया है। वर्तमान में अपीलार्थी का उक्त भूमि पर पक्का कच्चा मकान बना हुआ है। किन्तु प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण विवादित भूमि पर मकान बनाया गया है अथवा नहीं। ऐसी परिस्थिति में विवादित भूमि से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त कर निराकरण करने की आवश्यकता है। अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि निम्नांकित बिन्दू पर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर वाद का निराकरण करेंगे। 1. रिक्त भूमि के कच्ची पक्की मकान के अतिरिक्त भूमि कितना शेष है। 2. उक्त पक्की मकान का अनुमाणित वर्तमान किमत की क्षतिपूर्ति के प्राक्कलन प्राप्त करें। 3. भूमि एस0पी0टी0 एक्ट के तहत नियमानुसार क्षतिपूर्ति उत्तरवादी द्वारा भुगतान करने में सक्षम है या नहीं। ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी के अपील आवेदन को अपेक्षित रूप से मानते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है एवं पुनर्सुनवाई हेतु इस वाद को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है। इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश दोनों पक्षों को दिखावें।

लेखापित एवं संशोधित।

10.05.19

उपायुक्त,
साहेबगंज।

10.05.19

उपायुक्त,
साहेबगंज।

Scanned with CamScanner